न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 197 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 312

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
चेलाराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी नेवरी ढाणा तहसील कल्याणपुर		1.गोकलराम पुत्र भोमाराम 2.छगनलाल पुत्र भोमाराम 3.दौलतराम पुत्र भोमाराम 4. रामू पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी नेवरी ढाणा तहसील कल्याणपुर 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 4

3.विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 27.8.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी चेलाराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी नेवरी ढाणा तहसील कल्याणपुर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 589/309 क्षेत्रफल 3.0984 हैक्टेयर ग्राम नेवरी ढाणा तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 308 में से परिशिष्ट अ मुताबिक चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:07 IST
Reason: SelfAttested

02. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की [illegible] से वकालतनामा मय जवाब [illegible] कर निवेदन किया कि जवाब के संलग्न परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता देने के लिए सहमत है। विप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार कल्याणपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 308 ग्राम नेवरी ढाणा में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 589/309 क्षेत्रफल 3.0984 हैक्टेयर तक चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने का आवेदन पत्र पेश किया गया था तथा तहसीलदार कल्याणपुर से भी मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि विप्रार्थी के जवाब संलग्न परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से चाहे गए परिशिष्ट अ मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया है,लेकिन विप्रार्थी प्रस्तावित रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। विप्रार्थी की ओर से जवाब के संलग्न परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के बदले प्रतिकर राशि भी विप्रार्थी नहीं लेना चाहते है,उक्तानुसार परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता स्वीकृत किए जाने पर आपति नहीं है।

05. हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु मौका रिपोर्ट मुताबिक खसरा संख्या 308 में प्रस्तावित रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु निम्नानुसार रिपोर्ट अंकन की गई है,संक्षिप्त सारनुसार :–प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्तें के अलावा अन्य कोई नजदीक में ग्रेवल/सड़क रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीक व निकटतम रास्ता है।

5.हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक [illegible] धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ [illegible] से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के [illegible] जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर [illegible] नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

6. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 589/309 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी के नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि विप्रार्थी का कथन है कि प्रस्तावित रास्ता के स्थान पर विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिशिष्ट ब मार्क ए से बी अनुसार रास्ता दिए जाने में सहमत है तथा रास्ता के बदले क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं चाहिए। जिस पर वकील प्रार्थी ने भी दौराने बहस सहमति दी गई कि विप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी सहमत है। चुंकि पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर रास्ता देने के लिए सहमत है और विप्रार्थी रास्ता के बदले क्षतिपूर्ति नहीं लेना चाहते है तथा परिशिष्ट ब रास्ता की दूरी भी कम है। ऐसी सूरत में हम प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 589/309 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 308 रकबा 3.2501 हैक्टयर में विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिशिष्ट ब मार्क ए से बी 13 फीट चौड़ा रास्ता मुताबिक दर्शित नक्शानुसार भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि नक्शा परिशिष्ट **ब** मार्क ए से बी रास्ता की पैमाईश करते हुए बने वाले रकबा राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। विप्रार्थी पक्ष रास्ता के बदले प्रतिकर राशि नहीं लेने की सहमति दी गई है,इस कारण प्रतिकर राशि देय नहीं होगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा